उत्तर प्रदेश शासन,

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1

संख्या- 3/2023-I/ 271528/2023-10-3099/292/2020-3-

लखनऊः दिनांक 07 फरवरी, 2023

विज्ञप्ति/सेवा निवृत्ति

सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ के निम्नलिखित अधिकारी वर्ष 2023 में 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में उल्लिखित दिनांक के अपराह्न में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56(क) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त हो जायेगेः-

क्र0 सं0	कोटि क्रमांक	अधिकारी का नाम/सर्वश्री	पदनाम	जन्मतिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि
1.	5	शिवनाथ वर्मा	संयुक्त निदेशक	10.12.1963	31.12.2023
2.	51	सुरेश सिंह यादव	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	01.07.1963	30.06.2023
3.	53	राजेन्द्र यादव	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	01.08.1963	31.07.2023
4.	65	सुरेन्द्र नाथ कुंवर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	01.06.1963	31.05.2023
5.	-	कालीदीन	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	28.11.1963	30.11.2023
6.	-	राज किशोर पाण्डेय	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	15.06.1963	30.06.2023
7.	-	कैलाश नाथ चन्द्रवंशी	सहायक निदेशक, दुग्ध संघ, कानपुर	05.07.1963	31.07.2023
8.	-	राम प्यारे	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	20.05.1963	31.05.2023

समीर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0।
3. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0।
4. निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज, उ0प्र0 को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन तथा मुद्रित राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु।
7. सम्बन्धित अधिकारी। (द्वारा निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा)
8. सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।